

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी:-किशन सिंह उर्फ कृष्णा सिंह नि.बरनाला बनाम सुनील कुमार उपजिला कलेक्टर बामनवास
व करण सिंह पुत्र भोरया वगै
प्रकरण संख्या 52/2025

किस्म प्रकरण- मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

जीसीएमएस संख्या 2025/176

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/ता अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
19.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राजस्व के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	